न्यायालय, सब जज–द्वितीय डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–152 / 2008

18.11.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिवादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आवेदन दिनांक–26.07.2021 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सी0 पी0सी0 एवं प्रतिवादी के तरफ से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–23.03.2023 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई के उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत मुकदमा में मूल प्रतिवादी नं0–1 स्व0 जग्रनाथ सिंह ने अपना बयान तहरीरी दाखिल किया है वो बाद मरने जग्रनाथ सिंह के उनके पुत्रगण उपस्थित होकर अपना अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल किया है। वादी ने वर्तमान मुकदमा गलत वंशावली के आधार पर बंटवारा हेतू तथा बक्सीसनामा को गलत करार देने हेतू दाखिल किया है। वादी ने अभिलेख पर विलट कोईरी के मृत्यु प्रमाण में तिथि में छेड़–छाड़ किया जबकि विलट कोईरी ने दिनांक–12.05.2081 को ही रजिस्टर्ड बक्सीसनामा मन मुदालेह के पक्ष में लिखा लिखा है तथा बिलट कोईरी 1990 में मर गये जिनका प्रमाण पत्र दिनांक–18.9.90 को दाखिल किया गया है जिसको ओभर राईटिंग कर 19.9.76 किया गया है जो मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट पता चलता है जिसकी जांच हेतू मृत्यु रजिस्टर संबंधित विभाग से काल फार किया गया है लेकिन इसी बीच वादी सरयू सिंह विवादित एराजी सर्वे खाता खेसरा के मुताबिक पैतृक एराजी को सरयू सिंह ने दिनांक–01.03.2021 को बिक्री किया है जिसमें बंटवारा की बात बखुबी स्वीकार किया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मूल बयान तहरीरी में सुधार होना आवश्यक है ताकि सही तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सके। जो सब्सक्वींट इभेन्ट है जिससे मुकदमा का प्रकृति एवं स्वरूप नहीं बदलता है। मूल बयान तहरीरी के अंत में वो दौरान मुकदमा के दिनांक–01.03.2021 को गलत वंशावली के आधार पर वादी सरयू सिंह पिता स्व0 राधा किशुन सिंह ने पैतृक एराजी खाता नंबर 46 प्लाट नंबर 795 रकबा 9.83 डी0

बृज मोहन सिंह पिता रामाशंकर सिंह को बिक्री किया है जिसमें बंटवारा की बात अक्षरसः स्वीकार किया है, लेकिन गलत वंशावली के आधार पर बिक्री किया है दर्ज किया जाए। अतः निवेदन है कि न्यायहित में उपरोक्त बयान तहरीरी मरम्मत मंजूर किया जाए।

प्रस्तुत वाद में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी का आवेदन दिनांक–26.07.2021 कानून वो सरिहतन मेंटेनेबुल नहीं है। मुदालेह का आवेदन भेग है तथा मुदई को केवल परेशान करने के नियत से झूठा आवेदन न्यायालय में दाखिल किया है जिसका एकमात्र उद्देश्य मुकदमा के डिस्पोजल में विलंब करना है। मुदई ने जो एराजी मौजा वरूअज थाना नंबर 189 अंचल डुमरांव के खाता नंबर 46 प्लाट नंबर 795 रकबा 59 डी0 में से 9.83 डी0 का बिक्री किया है वे एराजी मुकदमा से संबंधित नहीं है बल्कि मुदालेह सभी असलियत को जानते हुए भी जान बूझ कर यह झूठा आवेदन न्यायालय में दाखिल कर दिया है कि केबाला वाली एराजी मुकदमा के विवादित एराजी है। मुदालेह का आवेदन बोनाफाइड नहीं है। अतः निवेदन है कि मुदालेह का आवेदन दिनांक–26.07.2021 को भारी खर्चे के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी द्वारा बयान तहरीरी दिनांक–24.08.2010 को ही दाखिल किया गया है। वादी सरयू सिंह विवादित एराजी सर्वे खाता, खेसरा के मुताबिक पैतृक एराजी को सरयू सिंह ने दिनांक–01.03.2021 को बिक्री किया है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन औपचारिक प्रकृति का है इससे वाद की गुण–दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्णतः वाद को निस्तारित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है। वादी द्वारा किए प्रयास, समय एवं व्यय को देखते हुए प्रतिवादी का आवेदन दिनांक–26.07.2021 को मो0 500/–रू0 खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी समय–सीमा के अंदर कार्यालय लिपिक के उपस्थिति में बयान तहरीरी में आवश्यक संशोधन करे।

दिनांक–.02.01.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

प्रभारी सब जज–द्वितीय, डुमरांव,